

नारायण नारायण उद्धन लक्ष्मी २१४३ के अवधारणा उ प्रश्न संख्या १६०७.२०१९ स्टडीज मो-शाजप्रकरण फिल्ड इकाई ननीजगढ़

परिषिष्ट(क)

विधान सभा ताराकित प्रश्न क्रमांक-2143 की जानकारी

क्र.	प्रकरण क्रमांक एवं धारा	पंजीयन दिनांक	आरोपी का नाम, पदनाम, विभाग	प्रकरण का प्रकार	अधितन स्थिति
1	95 / 11 13(1)ई, 13(2) पी.सी.एवट 1988	25.8.2011	श्री अमरसिंह यादव, महाप्रबधक, अपेक्ष बैंक भोपाल	अनुपातहीन संपत्ति	माननीय विशेष न्यायालय, भोपाल भ. खाला प्रतिवेदन दिनांक 10.11.2014 को प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचारधीन है।
2	213 / 12 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एवट 1988 एवं 109, 120बी, 201, 420, 467, 468, 471, भा.दं.वि.	8.10.2012	1. श्री भवर सिंह शेखावत, अध्यक्ष, अपेक्ष सैंक 2. श्री केशव देशपाण्डे, उप महाप्रबधक 3. श्री आर.बी.बट्टी, प्रबंध संचालक 4. श्री सुशील मिश्र, तत्का. प्रबंध संचालक (से.नि.) 5. श्री अरविंद सेंगर, तत्का. ओ.एस.डी. अपेक्ष सैंक 6. श्री एच.एस.मिश्रा, लेखाधिकारी, अपेक्ष सैंक 7. श्री ओम पाटीदार, विधि सलाहकार, अपेक्ष सैंक 8. श्री शांतिलाल लोडा, विधि सलाहकार, अपेक्ष सैंक 9. श्रीमती मंदा थेटे, अपेक्ष सैंक 10. श्री रमेश थेटे, तत्का. अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन	पद का दुरुपयोग	माननीय विशेष न्यायालय भोपाल में दिनांक 28.6.2013 को चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचारधीन है। नोट - आरोपी श्री शांतिलाल लोडा एवं श्री ओम प्रकाश पाटीदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की गयी याचिका क. 13213 / 15 एवं 2092 / 15 के अनुसार आरोपीण के विरुद्ध रायित आरोप खारिज किये गये।

[Signature]
अनुसार अप्रूपक्ष ५
अपर अप्रूपक्ष ५
संसद कारिता, प.प्र.प्रौद्योगिकी
म. ३० शाहन,

[Signature]
अनुसार अप्रूपक्ष ५
लोक अड्डे न कार्यालय
म. ३० शाहन,

परिशिष्ट का प्रपत्र-2

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2143 के प्रश्नाशा 'ख' की जानकारी
बैठक दिनांक 16.07.2019 सदस्य श्री राज्यवर्धनसिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव

क्र. क्रकरण क्रमांक एवं धारा	आरोपी का नाम, पदनाम एवं विभाग	सहकारिता विभाग स्तर से की गई कार्यवाही	अपेक्ष सैक स्तर से की गई कार्यवाही
1 95/11 13(1)ई, 13 (2)पी.सी. एक्ट 1988	श्री अमरसिंह बैंक, भोपाल	-	दिनांक 16.07.2012 को निर्लिपित किया जाकर विभागीय जाच संस्थित की गई। न्यायालय संयुक्त पंजीयक के आदेश दिनांक 27.01.2015 से निलंबन समाप्त किया गया। विभागीय जाच उपरात दिनांक 28.04.2016 को एक वार्षिक वेतन युद्धि असंचयी प्रमाण से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
2 213/12 13(1)डी, 13(2) एवं 109, 120वीं, 201, 420, 467, 468,471 भा. द.वि.	श्री भंवरसिंह शेखावत, अध्यक्ष अपेक्ष सैक श्री आर.वी.बट्टी, प्रबंध सचालक श्री सुशील मिश्र, तत्कालीन प्रबंध सचालक (सेनि.) श्री अरविंद सेंगर, तत्का. ओ.एस.डी. अपेक्ष बैंक	सहकारी अधिनियम की धारा 53-बी(2) के अंतर्गत दिनांक 04.08.2015 को अपेक्ष सैक भोपाल के अधीन कोई पद धारण करने के लिये आगामी 6 वर्ष की अवधि के लिये निर्हित किया गया है। आदेश दिनांक 05.07.2013 से निर्लिपित किया गया था। दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत्त। दिनांक 30.06.2012 को सेवानिवृत्त।	पूर्व से सेवा पूर्थक।
	श्री एच.एस.मिश्रा, लेखाधिकारी, अपेक्ष सैक	आदेश दिनांक 19.11.2013 से निर्लिपित किया गया था तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी-6-2-2019-3-एक दिनांक 09.04.2019 के आधार पर सक्षम कमेटी की अनुशंसा पर आदेश दिनांक 19.06.2018 को निलंबन से न्यायालयीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन बहाल किया गया। श्री एच.एस.मिश्रा, लेखाधिकारी, अपेक्ष सैक	आदेश दिनांक 17.09.2013 से निर्लिपित किया गया था। दिनांक 30.09.2015 को सेवा निवृत्त।
	श्री ओम पाटीदार, विधि सलाहकार, अपेक्ष सैक श्री शातिलाल लोढ़ा, विधि सलाहकार, अपेक्ष सैक श्रीमती मंदा थेटे, अपेक्ष सैक श्री रमेश थेटे, तत्का. अपर आयुक्त उपजैन	श्री एच.एस.मिश्रा, लेखाधिकारी, अपेक्ष सैक श्री ओम पाटीदार, विधि सलाहकार, अपेक्ष सैक श्री शातिलाल लोढ़ा, विधि सलाहकार, अपेक्ष सैक श्रीमती मंदा थेटे, अपेक्ष सैक श्री रमेश थेटे, तत्का. अपर आयुक्त उपजैन	श्री एच.एस.मिश्रा, लेखाधिकारी, अपेक्ष सैक श्री ओम पाटीदार, विधि सलाहकार, अपेक्ष सैक श्री शातिलाल लोढ़ा, विधि सलाहकार, अपेक्ष सैक श्रीमती मंदा थेटे, अपेक्ष सैक श्री रमेश थेटे, तत्का. अपर आयुक्त उपजैन